

प्रेस नोट
यूपी एटीएस



अवैध शस्त्रों की तस्करी में लिप्त 3 अभियुक्त उ.प्र. एटीएस द्वारा लखनऊ से गिरफ्तार, बिहार से लाकर उ.प्र. में करते थे सप्लाई, 5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टलें बरामद

दिनांक : 16 सितम्बर, 2019

आज दिनांक 16.9.19 को उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम द्वारा अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले तीन अभियुक्तों को लखनऊ से मय 5 पिस्टलों के गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस की फील्ड यूनिट वाराणसी को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोग बिहार के मुंगेर से अवैध शस्त्रों को मंगाकर उ.प्र. में भिन्न भिन्न स्थानों पर सप्लाई करते हैं। इस सूचना को विकसित कर आज दिनांक 16 सितम्बर, 19 को 5 अवैध पिस्टलों सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मु.अ.सं.-06/19 अंतर्गत धारा- 3/5/25/27 आयुध अधिनियम व धारा-419,420,467,468 भा.द.वि. थाना- एटीएस, लखनऊ दर्ज किया गया।

उ.प्र. एटीएस को निगरानी के दौरान सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा अवैध शस्त्रों की डिलीवरी आज दिनांक 16.9.19 को पुराने लखनऊ में होने वाली है। वाराणसी फील्ड यूनिट ने घेराबंदी कर मौके पर से तीन अभियुक्तों गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. दानिश करीम पुत्र कलीम अहमद, उम्र-30 वर्ष, निवासी-मुहल्ला जालंधरी, थाना-कोतवाली आजमगढ़, आजमगढ़
2. मो० शाहिद पुत्र मो० युसूफ, उम्र-30 वर्ष निवासी-कोलही करीब, पोस्ट-बनगवां, थाना-खोडाही, जनपद-गोण्डा।
3. अयाज़ सिद्दीकी उर्फ बांके पुत्र स्व० गयासुद्दीन, उम्र-32 वर्ष निवासी-420/119, कटरा मुहम्मद अली खां, थाना-सआदत गंज, लखनऊ।

बरामदगी

1. 5 अदद सेमी ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल (.32 बोर)
2. 9 मैगजीन
3. 4 अदद कारतूस (जिन्दा 9 mm प्रतिबंधित बोर)
4. 3 अदद मोबाइल
5. 4 अदद फर्जी सिम
6. 1 अदद आई कार्ड (प्रेस-क्राइम दृष्टि, फर्जी)

अग्रिम पूछताछ

- इन लोगों के साथ और कौन कौन लोग इस व्यापार में संलिप्त थे ?
- उ.प्र. के कौन-कौन से लोग इनके ग्राहक थे जो अवैध शस्त्रों को खरीदते थे ?
- इनके अवैध शस्त्रों के व्यापार के पीछे धन के लालच के अतिरिक्त क्या कोई और उद्देश्य भी था ?
- ये शस्त्र कहाँ से खरीद कर लाते थे ? इनके स्रोत क्या थे ?

अभियुक्तों के चित्र



अयाज़ सिद्दीकी



मो० शाहिद



दानिश करीम